

पत्रांक:-/ 108 /ज्वाइन्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)/कोविड-19-वैट लिमिटेसन/2020-21/वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 09 जुलाई, 2020

विषय:-मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं0-25/ज्वाइन्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)/कोविड-19-वैट लिमिटेसन/वाणिज्य कर दिनांक 22 मई, 2020 के सम्बन्ध में।

शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी परिपत्र सं0-25/ज्वाइन्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)/कोविड-19-वैट लिमिटेसन/वाणिज्य कर दिनांक 22 मई, 2020 में-

प्रथम प्रस्तर की, तृतीय पंक्ति में, शब्द एवं अंक 'धारा-19' के स्थान पर शब्द एवं अंक 'धारा-29' प्रतिस्थापित किया जाता है।

*

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,